रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012024-251130
CG-DL-E-04012024-251130

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1945
No. 51] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSHA 13, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2024

का.आ. 56(अ).—दिनांक 17.08.2006 को अधिसूचित और दिनांक 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षकों की अर्हता, शक्ति और कार्य नियमावली, 2006 (जिसे इसके बाद "उक्त नियमावली" कहा गया है) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) के निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना की तारीख से पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में उनके कार्यकाल तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपर्युक्त नियमों में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट (पीएमआरपी) के लिए मुख्य वैद्युत निरीक्षक/वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

क्र.सं.	नाम (श्री)	पदनाम	योग्यता	यथा प्रस्तावित नियुक्तियां
1.	जगदीश कुमार	कार्यकारी निदेशक/यूजी/टीआर	एएमआईई (विद्युत अभियंता)	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
2.	आनंद कुमार	जेजीएम/ट्रैक्शन	बीई (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, पीएमआरसीएल द्वारा अधिकृत क्षेत्रों के भीतर अथवा पीएमआरसीएल के नियंत्रणाधीन कार्यों और विद्युत प्रतिष्ठानों के संबंध में/ पीएमआरसीएल से संबंधित प्रचालनाधीन वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने कार्य निष्पादित करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपर्युक्त अधिकारी पीएमआरसीएल में कार्यकारी निदेशक/यूजी/टीआर अथवा जेजीएम/ट्रैक्शन के रूप में उन्हें सौंपे गए कार्यों को बतौर मुख्य वैद्युत निरीक्षक/वैद्युत निरीक्षक कार्य नहीं करेंगे।

मुख्य वैद्युत निरीक्षक/वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी ऐसा प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/5/2023-आरएण्डआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2024

S.O. 56(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualification, Power and Function of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 (hereinafter called the said Rules) notified on 17.8.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints the following officers of Patna Metro Rail Corporation Ltd. (PMRCL) as Chief Electrical Inspector/Electrical Inspectors for Patna Metro Rail Project (PMRP), from the date of this Notification till his tenure in Patna Metro Rail Corporation Ltd. or till further orders, whichever is earlier, subject to fulfillment of the qualification and condition mentioned in the said Rules:-

Sl. No.	Name (Shri)	Designation	Qualification	Proposed for appointments as
1	Jagdish Kumar	Executive Director/UG/TR	AMIE (Electrical Engineer)	Chief Electrical Inspector
2	Anand Kumar	JGM/Traction	B.E. (Electrical)	Electrical Inspector

The above mentioned officers shall exercise the powers and perform their functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the PMRCL or in respect of work and electrical installations under the control of PMRCL /belonging to PMRCL as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

It shall be ensured that above said officers shall not function as Chief Electrical Inspector/ Inlectrical Inspector in respect of the work assigned to them as Executive Director/UG/TR or JGM/Traction in PMRCL.

The officers appointed as Chief Electrical Inspector/Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/5/2023-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2024.01.04 15:33:42 +05'30'